न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला—सलूम्बर
बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 54 / 2023 प्रा.प.
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023 / 22

उनवान

1. श्री गोपाल पुत्र स्व. गौतमजी मीणा उम्र बालिग
2. श्री लक्ष्मण पुत्र स्व. गोता मीणा उम्र बालिग
3. श्री धुला पुत्र भगवानजी मीणा उम्र बालिग
सभी निवासी सुरों का कुआ तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

विरूद्ध

1. श्री भगवान पुत्र स्व. केवाजी मीणा उम्र
2. श्री नाथु पुत्र स्व. रघुनाथ मीणा उम्र बालिग
निवासी सुरों का कुआ तहसील सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)।
3. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार सा. सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
व धारा 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

—::निर्णयः:—

दिनांकः—05/05/2026

उपस्थितिः श्री गोविन्दलाल डांगी अधिवक्ता—प्रार्थीगण
श्री गेबीलाल मेहता अधिवक्ता— विपक्षी संख्या 2
विपक्षी संख्या 1—एक पक्षीय।

प्राथीगण ने प्रार्थना पत्र संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण ने वाद बाबत पैतृक अविभाजित भूमि घोषित कराने, पांती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के साथ उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 जा.दि. का पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं. 1 एक एक ही खानदान के है। प्रार्थीगण की पैतृक अविभाजित कृषि भूमि मौजा सुरों का कुआ पटवार हल्का ईसरवास तहसील सलूम्बर खाता संख्या नया 40 पुराना 40 वर्ष संवत् 2075 से 2078 आराजी नम्बर 447 / 74 / 0.01, 74 / 0.05, 75 / 0.02, 76 / 0.07 कुल किता 4 रकबा 0.15 हैक्टेयर स्थित है जो मूल पुरूष केवा के समय की है। वर्तमान में वादी नं. 3 तीन के पिता एवं वादी नं. 1 एक एवं 2 दो के दादा प्रतिवादी नं. 1 एक के खाते 1/2 आधा हिस्सा दर्ज है एवं 1/2 आधा हिस्सा स्व. अमरा ने अन्य व्यक्ति प्रतिवादी नं. 2 दो नाथु पुत्र रघुनाथ मीणा को बेच दिया जो प्रतिवादी नं. 2 दो के खाते दर्ज है एवं 1/2 आधा हिस्सा स्व. केवा के पुत्र भगवान के खाते है।

कि मौजा लकापा पटवार हल्का अदकालिया तहसील सलूम्बर की निम्न पैतृक कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान में वादी नं. 1 एक एवं 2 दो के परदादा एवं वादी नं. 3 तीन के दादाजी स्व. केवा पुत्र पुंजा मीणा के खाते है। स्व. केवाजी के 2 दो पुत्र पैदा हुऐ जो अमरा एवं प्रतिवादी नं. 1 एक भगवान थे। स्व. अमरा के कोई औलाद नही थी इसलिये अमरा का हिस्सा भगवान प्रतिवादी नं. 1 एक को प्राप्त हुआ। भूमि का विवरण निम्न है— मौजा

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर जिला – सलूम्बर
बजरिये – श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या–54 / 2022
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

उनवान– श्री गोपाल बनाम श्री भगवान

लकापा पटवार हल्का अदकालिया तह. सलूम्बर हाल खाता नं. 36 पुराना 33 वर्ष संवत् 2075 से 2078 हाल आ.नं. 1203 / 0.08, 1204 / 0.32, 1205 / 0.11, 1206 / 0.06, 1207 / 0.02, 1208 / 0.09, 1209 / 0.14, 1210 / 0.12 कुल किता 8 रकबा 0.94 हैक्टेयर।

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक होकर मूल पुरूष केवाजी के समय की है। केवाजी का वर्षों पूर्व निधन हो गया है एवं उनके 2 दो पुत्र पैदा हुऐ जो अमरा एवं भगवान थे जिन में से अमरा लाऔलाद फोत हुआ एवं भगवान प्रतिवादी नं. 1 एक है एवं भगवानजी के 2 दो बेटे स्व. गौतम पुत्र धुला वादी नं. 3 तीन पैदा हुऐ। गौतम का निधन हो गया है एवं गौतम के वारिश पुत्र वादी नं. 1 एक गोपाल व वादी नं. 2 दो लक्ष्मण है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र की क्रम संख्या 2 दो एवं 3 तीन में वर्णित कृषि भूमि पैतृक है। वादीगण अपने स्व. पिता व दादा के साथ वादग्रस्त कृषि भूमि के कोपार्शनर है इसलिये उक्त पैतृक जायदाद पर काबिज होकर आज तक काश्त कर रहे है। वादग्रस्त भूमि में पक्षकारों के हिस्से प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 एवं 6 मे वर्णितानुसार है। प्रतिवादी नं. 1 एक पहले भी करीब 7 सात बीघा भूमि विक्रय कर चुके है इसलिये वादग्रस्त भूमि में अब प्रतिवादी नं. 1 एक के खाते भूमि नही रहना चाहिये।

वादग्रस्त भूमि अविभाजित होकर पैतृक है उसे प्रतिवादी नं. 1 एक अकेला विक्रय नही कर सकते है। वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी नं. 1 एक ने तारीख 03–08–2022 को स्थान सुरों का कुआ में पारिवारिक समझौता लिख कर दिया कि वादग्रस्त भूमि का 1 / 2 आधी दोनो वादी नं. 1 एक एवं 2 दो की रहेगी एवं 1 / 2 आधी वादी नं. 3 तीन की रहेगी एवं 700 रूपये प्रतिमाह दोनो वादी नं. 1 एक एवं 2 दो एवं 700 रूपये प्रतिवादी नं. 3 तीन भरण पोषण के प्रतिवादी नं. 1 एक को देगा। उक्त पारिवारिक समझौता अनुसार वादीगण बराबर प्रतिवादी नं. 1 एक को गत 1 एक वर्ष से भरण पोषण दे रहे है परन्तु विपक्षी नं. 1 वादग्रस्त भूमि बेचने की धमकी दी है जिससे वादीगण को मजबुर होकर विपक्षी नं. 1 एक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना पत्र पेश है।

अतः प्रार्थना है कि असल वाद पत्र के निर्णय तक विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि मौजा सुरों का कुआ पटवार हल्का ईसरवास तहसील सलूम्बर की नया खाता नं. 40 किता 04 रकबा 0.1500 हैक्टेयर एवं मौजा लकापा पटवार हल्का अदकालिया कि खाता नया नं. 36 किता 08 रकबा 0.9400 हैक्टेयर जो वर्तमान में विपक्षी नं. 1 एक के स्वर्गीय पिता केवा पुत्र पुंजा मीणा के खाते है उसका विरासत का नामान्तरण विपक्षी नं. 1 एक भगवान के नाम स्वीकृत नही करावे एवं नही विपक्षी नं. 1 एक पैतृक अविभाजित भूमि किसी को किसी प्रकार से हस्तान्तरण करे एवं विपक्षी नं. 3 तीन तहसीलदार साहब सलूम्बर किसी प्रकार के हस्तान्तरण को पंजीयन नही करे एवं नही उक्त भूमि खुर्द बुर्द करें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलवी हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गेबीलाल मेहता हाजिर आये। विपक्षी संख्या 2 ने कोई जवाब पेश नही किया। विपक्षी संख्या 1 के गैर हाजिर रहने से आदेशिका दिनांक 04–02–2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारि किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 ने बहस मे कथन किया कि प्रार्थीगण मुझ विपक्षी संख्या 2 के खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा विवादित कृषि भूमि को पैतृक एवं अविभाजित बताते हुए खातेदारी हक, पांती बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण का कथन है कि विपक्षी नं. 1 द्वारा विवादित भूमि का नामांतरण एवं विक्रय किए जाने की संभावना है, जिससे वादीगण के कथित पैतृक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। विपक्षी संख्या 2 ने यह तर्क दिया गया कि भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 2 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, अतः विपक्षी संख्या 2 के खिलाफ कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामांतरण कार्यवाही मूलतः राजस्व अभिलेख अद्यतन करने की प्रक्रिया है, जिससे स्वामित्व अधिकार का अंतिम निर्धारण नहीं होता। मृतक खातेदार के विधिक वारिसों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना सामान्य विधिक प्रक्रिया है। तथापि, वर्तमान प्रकरण में पैतृक अधिकार एवं हिस्सेदारी संबंधी विवाद न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अतः न्यायहित एवं पक्षकारों के संभावित अधिकारों की सुरक्षा हेतु यह उचित होगा कि विधिक वारिसों के नाम नामांतरण की प्रक्रिया विधि अनुसार की जा सकती है, परंतु ऐसा नामांतरण वाद के अंतिम अधिकार निर्धारण के अधीन रहेगा तथा इससे किसी एक पक्ष के विशेष स्वामित्व अधिकार की पुष्टि नहीं मानी जाएगी।

विवादित कृषि भूमि के पैतृक व अविभाजित होने संबंधी विवाद विचाराधीन है, जिसका अंतिम निराकरण साक्ष्य के आधार पर विचारण के उपरांत किया जाना है। वर्तमान अवस्था में यदि भूमि का हस्तांतरण, विक्रय या नामांतरण किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः सुविधा संतुलन एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए, वाद के अंतिम निर्णय तक अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

मौजा लकापा पटवार हल्का अदकालिया तहसील सलूम्बर खाता संख्या 36 में मृतक खातेदार के विधिक वारिसों के नाम विरासत नामांतरण नियमानुसार खोला जा सकता है। नामांतरण प्रविष्टि स्पष्ट रूप से दावाधीन रहेगी।

विपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूलवाद के निस्तारण तक पांबद किया जाता है कि वह विवादित मौजा सुरों का कुआ पटवार हल्का ईसरवास तहसील सलूम्बर की नया खाता नं. 40 कीता 4 रकबा 0.1500 हैक्टेयर एवं बाद विरासत नामांतरण के मौजा लकापा पटवार हल्का अदकालिया तहसील सलूम्बर की खाता नया नं. 36 किता 8 रकबा 0.9400 हैक्टेयर भूमि का विक्रय, हस्तांतरण या तृतीय पक्ष हित सृजन नही करे एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय दिनांक 05/05/2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर